

2017/00391

FORM No. III

# फर्द अहकाम

(नियम 26)


अदालत उपलब्ध अतिवारी मुकाम बेमान  
 वनाम लक्ष्मण  
 एत मुकदमा डाम-वध नं. लक्ष्मण सन. 24/7/17  
दामा, 00,09,188 03 1/2

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीज में जारी हुए
14/2/18	<p>दामा लक्ष्मण व धर्मपत्नी के प्रतिपत्नीगण को जमाने के लिये न्यायिक पत्र जारी किया गया है।</p> <p>सी.एस.जी. अतिवारी <u>दी. ग. लक्ष्मण व धर्मपत्नी</u>  <u>24/4/18</u></p> <p>लक्ष्मण</p> <p><b>एस.डी.ओ.एस.डी.ओ.</b></p>	
24/7/18	<p>वकील पत्रों के अन्तर्गत जमाने की न्यायिक पत्र जारी किया गया है।</p> <p>दामा लक्ष्मण व धर्मपत्नी के प्रतिपत्नीगण को जमाने के लिये न्यायिक पत्र जारी किया गया है।</p>	
17/11/18	<p>वकील पत्रों के अन्तर्गत जमाने की न्यायिक पत्र जारी किया गया है।</p> <p>दामा लक्ष्मण व धर्मपत्नी के प्रतिपत्नीगण को जमाने के लिये न्यायिक पत्र जारी किया गया है।</p>	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

50/22 - प्रमाण पत्र हुआ, सुडकीडेर शर्मा व  
स्वयं शर्मा को न्यायालय हाजिर से वार-2  
आवाज लगवाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं है।  
अतः प्राप्ति पर शर्मा हड्डो शर्मा व स्वयं  
शर्मा की अलग हाजरी अलग पेशी में लाए  
गए। प्रमाण फौजदारी नया  
से कर रहे। वाद तब तक दायित्व-दफ्तर  
है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बयाना (भरतपुर)